न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 07/2018

1. हरिराम पुत्र श्री हनुमान सहाय
2. राजू लाल पुत्र श्री हनुमान सहाय
3. बाबूलाल पुत्र श्री हनुमान सहाय
4. सुभाष पुत्र श्री हनुमान सहाय
5. गोपाल लाल पुत्र स्व. हरबक्स
6. बनवारी लाल पुत्र स्व. हरबक्स
7. भगवान सहाय पुत्र स्व. हरबक्स
8. रामकिशन पुत्र स्व. हरबक्स

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
2. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैंक शाख कालाडेरा तहसील चोमू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् दुरूस्थी अन्तर्गत धारा 89 राज0 काश्त0 अधि0</u>

निर्णय दिनांक :– 10.06.2019

व.फ.उपस्थित। वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर के रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं। वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चोमू जिला जयपुर में स्थित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 2933/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2933/4 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2934/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2935/2 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2939 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2940 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2941 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2942 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2943 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2944 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2945 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2946 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नंम्बर 2947 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2948 रकबा 2.02 हैक्टेयर, 2950 रकबा 2.84 हैक्टेयर, 2951 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2952 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3061/3790 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3068 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3069 रकबा 0.55 हैक्टेयर, कुल किता 20 का कुल रकबा 11.41 हैक्टेयर हैं। जिसमें खसरा नम्बर 2946 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3068 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3069 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2935/2 रकबा 0.47 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 2.20 हैक्टेयर भूमि इस वाद पत्र में विवादग्रस्त हैं। जिसे की वाद पत्र की अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात से सम्बोधित किया गया हैं।

वाद में वर्णित विवादित आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर 2946, 3068, 3069, 2935/2 बनाते जाते समय उपरोक्त खसरा नम्बरान के राजस्व नक्शे की तरमीम के अनुसार विवादग्रस्त आराजायात का रकबा कायम नही किया गया तथा विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व नक्शे की तरमीम किये जाते समय मौके पर विवादग्रस्त आराजीयात का जो रकबा था उसके विपरीत जाकर विवादग्रस्त आराजीयात का रकबा हाल जमाबन्दी में अंकित किया गया, जिस कारण विवादग्रस्त आराजीयात की तरमीम कर तरमीम के दौरान राजस्व नक्शे में अंकित किये गये विवादग्रस्त आराजीयात का रकबा राजस्व नक्शे के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

विवादग्रस्त आराजीयात की जमाबन्दी से मिलान नही हुआ। अर्थात विवादगस्त आराजीयात के राजस्व नक्शे में मौके अनुसार जो रकबा विवादग्रस्त आराजीयात का हैं वह विवादग्रस्त आराजीयात की वर्तमान जमाबन्दी से भिन्न हैं। जिससे खसरा नम्बर 2946 व खसरा नम्बर 2935/2 का रकबा नक्शे की तरमीम के अनुसार सही बनाया जाकर जमाबन्दी बढा कर दर्ज कर दिया गया, जबकि खसरा नम्बर 2946 का राजस्व नक्शा 0.67 हैक्टेयर का हैं जबकि जमाबन्दी में उपरोक्त खसरा नम्बर का रकबा 0.71 हैक्टेयर दर्ज हैं, तथा खसरा नम्बर 2935/2 का रकबा राजस्व नक्शा अनुसार 0.18 हैक्टेयर का हैं, जबकि जमाबन्दी में 0.47 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 3068 का रकबा राजस्व नक्शा अनुसार 0.67 हैक्टेयर का हैं, जबकि जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बर के रकबे को कम करके 0.47 हैक्टेयर ही दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 3069 का रकबा राजस्व नक्शे अनुसार में 0.68 हैक्टेयर का हैं, जबकि जमाबन्दी में रकबा कम कर 0.55 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया। जो कि राजस्व नक्शे के विपरीत होने से विधि विरूद्ध हैं। वाद कारण प्रतिवादीसंख्या 1 द्वारा दिनांक 15.10.2018 को वर्णित प्रकार दुरूस्त किये जाने से इन्कार करने से उत्पन्न हो मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निरस्त जारी हैं।

वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादी बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजीयात की हाल जमाबन्दी में अंकित रकबों को विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व नक्शे अनुसार निम्न सारणी अनुसार दुरूस्ती किये जाने के आदेश पारित कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावें।

क्र.सं.	ख.नं.	जमाबन्दी अनुसार रकबा	नक्शे अनुार रकबा	(अन्तर)
1	2946	0.71 हैक्ट.	0.67 हैक्ट.	+0.04 हैक्ट.
2	3068	0.47 हैक्ट.	0.67 हैक्ट.	−0.20 हैक्ट.
3	3069	0.55 हैक्ट.	0.68 हैक्ट.	−0.13 हैक्ट.
4	2935/2	0.47 हैक्ट.	0.18 हैक्ट.	+0.29 हैक्ट.
कुल किता 4 का कुल रकबा		2.20 हैक्ट.	2.20 हैक्ट.	NIL

उक्त वाद में तहसीलदार चोमू से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चोमू की रिपोर्ट दिनांक 16.04.2019 अनुसार ग्राम कालाडेरा के खसरा नम्बर 2933/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2933/4 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2934/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2935/2 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2939 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2940 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2941 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2942 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2943 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2944 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2945 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2946 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2947 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2948 रकबा 2.02 हैक्टेयर, 2950 रकबा 2.84 हैक्टेयर, 2951 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2952 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3061/3790 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3068 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3069 रकबा 0.55 हैक्टेयर कुल किता 20 का कुल रकबा 11.41 हैक्टेयर की खातेदारी गोपाललाल, बनवारी लाल भगवानसहाय, रामकिशन पिता हरबक्स हि. 1/2 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बाबूलाल, राजूलाल, सुभाष पिता हुनमान हि. 3/8 राहिन ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा कालाडेरा हरिराम पुत्र हनुमान हि. 1/8 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के नाम से वर्तमान रेकार्ड में दर्ज हैं। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 2946 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3068 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3069 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2935/2 रकबा 0.47 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 2.20 हैक्टेयर को उक्त वाद में विवादग्रस्त बताया गया हैं क्योंकि उक्त खसरा नम्बरान का क्षेत्र नक्शा अनुसार न होकर कम अथवा अधिक जमाबन्दी में दर्ज है। अर्थात नक्शे की आकृति से क्षेत्रफल का

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

मेलाल नही होता हैं। जिसको नक्शे अनुसार दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र (वाद) प्रस्तुत किया गया हैं। विवादग्रस्त खसरा नम्बरान का जमाबन्दी के क्षेत्रफल एवं नक्शा की आकृति से मिलान (रकबा बरारी) करने पर निम्न प्रकार अन्तर पाया गया हैं।

क्र. सं.	ख.नं.	जमाबन्दी अनुसार क्षेत्रफल	नक्शा अनुसार क्षेत्रफल	(अन्तर) कमी	बेशी	वि.वि.
1	2946	0.71 हैक्ट.	0.67 हैक्ट.	0.04 हैक्ट.	—	
2	3068	0.47 हैक्ट.	0.67 हैक्ट.	—	0.20 हैक्ट.	
3	3069	0.55 हैक्ट.	0.68 हैक्ट.	—	0.13 हैक्ट.	
4	2935/2	0.47 हैक्ट.	0.18 हैक्ट.	0.29 हैक्ट.	—	
योग	किता 4	2.20 हैक्ट.	2.20 हैक्ट.	0.33	0.33	

उपरोक्त सारणी अनुसार चारो खसरा नम्बरान का रकबा नक्शा अनुसार ख.नं. 2946 रकबा 0.71 हैक्ट. के स्थान पर 0.67 हैक्ट. ख.नं. 3068 का रकबा 0.47 हैक्ट. के स्थान पर 0.67 हैक्ट., ख.नं. 3069 का रकबा 0.55 हैक्ट. के स्थान पर 0.68 हैक्ट., ख.नं. 2935/2 का रकबा 0.47 हैक्ट. के स्थान पर 0.18 हैक्ट. राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में शुद्ध किया जाना उचित हैं। इस प्रकार दुरूस्ती किये जाने पर पक्षकारान की खातेदारी पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा तथा सरकारी हितो का भी किसी प्रकार ह्रास नही होता हैं।

बहस पक्षकारान के अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./19/1534 दिनांक 12.04.2019 में उल्लेख किया है कि उक्त खसरा नम्बरान का क्षेत्र नक्शा अनुसार न होकर कम अथवा अधिक जमाबन्दी में दर्ज है। अर्थात नक्शे की आकृति से क्षेत्रफल का मिलाल नही होता हैं। चारो खसरा नम्बरान का रकबा नक्शा अनुसार ख.नं. 2946 रकबा 0.71 हैक्ट. के स्थान पर 0.67 हैक्ट. ख.नं. 3068 का रकबा 0.47 हैक्ट. के स्थान पर 0.67 हैक्ट., ख.नं. 3069 का रकबा 0.55 हैक्ट. के स्थान पर 0.68 हैक्ट., ख.नं. 2935/2 का रकबा 0.47 हैक्ट. के स्थान पर 0.18 हैक्ट. राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता हैं कि वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर में स्थित आ. ख.नं. 2946 रकबा 0.71 हैक्ट. के स्थान पर 0.67 हैक्ट. ख.नं. 3068 का रकबा 0.47 हैक्ट. के स्थान पर 0.67 हैक्ट., ख.नं. 3069 का रकबा 0.55 हैक्ट. के स्थान पर 0.68 हैक्ट., ख.नं. 2935/2 का रकबा 0.47 हैक्ट. के स्थान पर 0.18 हैक्ट. राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में नक्शे अनुसार शुद्ध दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री जारी हों। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

संतोष करोल
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास संतोष करोल आरएएस
1. हरिराम पुत्र श्री हनुमान सहाय
2. राजू लाल पुत्र श्री हनुमान सहाय
3. बाबूलाल पुत्र श्री हनुमान सहाय
4. सुभाष पुत्र श्री हनुमान सहाय
5. गोपाल लाल पुत्र स्व. हरबक्स
6. बनवारी लाल पुत्र स्व. हरबक्स
7. भगवान सहाय पुत्र स्व. हरबक्स
8. रामकिशन पुत्र स्व. हरबक्स

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
2. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैंक शाख कालाडेरा तहसील चोमू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् दुरूस्थी अन्तर्गत धारा 89 राज0 काश्त0 अधि0

मुकदमा नं0 07/2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू संतोष करोल आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि वादी का वाद डिक्री किया जाता हैं कि वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चोमू जिला जयपुर में स्थित आ. ख.नं. 2946 रकबा 0.71 हैक्ट. के स्थान पर 0.67 हैक्ट. ख.नं. 3068 का रकबा 0.47 हैक्ट. के स्थान पर 0.67 हैक्ट., ख.नं. 3069 का रकबा 0.55 हैक्ट. के स्थान पर 0.68 हैक्ट., ख.नं. 2935/2 का रकबा 0.47 हैक्ट. के स्थान पर 0.18 हैक्ट. राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में नक्शे अनुसार शुद्ध दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

बसरर्त मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख ~~30.08.2019~~ 4/9/2019 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत [signature]

ओहदा.......

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	0	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	0	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner